दिनांक 07.04.2025
प्रेस विज्ञप्ति 11/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश में प्रथम पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता 2024–25 का भव्य–शुभारंभ

आज दिनांक 07.04.2025 को उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड के तत्वावधान में 35 वीं वाहिनी पी०ए०सी० लखनऊ के प्रागण में प्रथम पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता 2024–25 का उद्घाटन समारोह अत्यंत गरिमामयी वातावरण में हर्षोउल्लास के साथ सम्पन्न हुआ। प्रथम पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के **मा0 मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा **मुख्य अतिथि** के रूप में किया गया।

उक्त प्रतियोगिता में देश के 29 राज्य/अर्द्धसैनिक बल की कुल 75 टीमें के 1341 खिलाडी प्रतिभाग कर रहे है, जिसमें हैण्डबाल प्रतियोगिता में पुरूष खिलाड़ियो की 25 टीम व महिला खिलाड़ियो की 12 टीम कुल 37 टीम एवं बास्केटबाल प्रतियोगिता में पुरूष खिलाड़ियो की 27 टीम व महिला खिलाड़ियो की 11 टीम कुल 38 टीमे प्रतिभाग करेगी। प्रतियोगिता में हैण्डबाल का आजोयन 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ, रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ, 35वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ, के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में और बास्केटबाल प्रतियोगिता का आयोजन 35वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ, भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) लखनऊ एवं लॉ मार्टिनियर गर्ल्स/ब्वायज कालेज लखनऊ में किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य पुलिसकर्मियों में आपसी समन्वय, उत्साहवर्धन एवं खेल–कौशल के माध्यम से सशक्त व सुदृढ़ पुलिस प्रणाली का निर्माण करना है।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा प्रथम अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर (बास्केटबॉल/हैंडबॉल) 2024–25 प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर अपने स्वागत भाषण में कहा गया कि मा0 मुख्यमंत्री जी की ***"कुशल खिलाडी योजना"*** जैसी दूरदर्शी पहल के माध्यम से उ0प्र0 ने खेलो के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई है। जिससे प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। यह आयोजन केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि अनुशासन, टीम भावना और आत्मविश्वास का उत्सव है।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा अपने सम्बोधन में कहा गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन एवं कुशल प्रशिक्षकों के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस में खेल संस्कृति, खेल कौशल और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। उक्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों से आह्वान करते हुए कहा गया कि खेल को खेल की भावना से खेले तथा अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करें और उत्तर प्रदेश से मधुर स्मृतियां अपने साथ अपने प्रदेश में लेकर जाएं। अन्त में सभी प्रतिभागियों, आयोजकों और अधिकारियों को इस प्रतियोगिता की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह आयोजन नई प्रतिभाओ के लिए एक सशक्त मंच साबित होगा।

माननीय मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि **"खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं, अपितु अनुशासन, सौहार्द और सामूहिकता की जीवंत अभिव्यक्ति** है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल द्वारा इस प्रकार का आयोजन निःसंदेह प्रशंसनीय एवं प्रेरणादायक है, जो बल के शारीरिक सुदृढ़ता के साथ–साथ मानसिक नवोन्मेष को भी प्रोत्साहित करता है।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद, अपर पुलिस महानिदेशक पी०ए०सी० श्री सुजीत पाण्डेय, पुलिस महानिरीक्षक पी0ए0सी0 मध्यजोन श्री प्रितिन्दर सिंह सहित गणमान्य व्यक्ति, वरिष्ठ अधिकारीगण, खेल संरक्षक एवं प्रतिभागी खिलाड़ी तथा मीडीया बंधु उपस्थित रहे।

2024 - 25
-11 अप्रैल 2025

ALL INDIA POLICE
2024-25
उत्तर प्रदेश

दिनांक 07.04.2025
प्रेस विज्ञप्ति 12/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद सुल्तानपुर/थाना कोतवाली कादीपुर</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 06.04.2025 की रात्रि थाना कोतवाली कादीपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बुढाना डबल नहर के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त नीरज घायल हो गया, जिसे अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त नीरज थाना कोतवाली कादीपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली कादीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–नीरज निवासी उडरी कटरा थाना अखण्डनगर जनपद सुलतानपुर।

2–सुरेन्द्र कुमार निवासी ताजुद्दीनपुर थाना अखण्डनगर जनपद सुलतानपुर।

<u>बरामदगी</u>

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना पहासू

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध पिस्टल मय खोखा कारतूस**
- **01 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 06/07.04.2025 को थाना पहासू व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जटौला नहर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान दो पहिया सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त राजीव घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल मय खोखा कारतूस, 01 दो पहिया वाहन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना पहासू पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजीव निवासी मो0 सराय झाँझन कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–01 अवैध पिस्टल मय खोखा कारतूस।

2–01 दो पहिया वाहन।

जनपद देवरिया/थाना कोतवाली

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 07.04.2025 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे माल गोदाम के पास से 03 अभियुक्तों 1– मुश्ताक अली

उर्फ अफताब 2–धन्नू कुमार उर्फ धोनी 3–सुनील को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मुश्ताक अली उर्फ अफताब निवासी सतवार थाना गौतमबुद्धनगर तरवारा जनपद सीवान बिहार।

2–धन्नू कुमार उर्फ धोनी निवासी अटवा थाना मैरवा जनपद सीवान बिहार।

3–सुनील निवासी पिपरा बांध थाना मईल जनपद देवरिया।

बरामदगी

1–चोरी की 06 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–58

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 02 ईको कार, 01 कार का इंजन**
- **भारी मात्रा में स्क्रैप आदि बरामद**

दिनांक 06.04.2025 को थाना सेक्टर–58 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1–दिनेश 2–वसीम 3–आकिब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 02 ईको कार, 01 कार का इंजन, भारी मात्रा में स्क्रैप आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–58 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दिनेश निवासी ग्राम छिदवारा थाना कोतवाली जनपद सम्भल।

2–वसीम निवासी टांडा थाना बहेडी जनपद बरेली।

3–आकिब निवासी नारायण टोला थाना बहजोई जनपद सम्भल।

बरामदगी

1—चोरी की 02 ईको कार, 01 कार का इंजन।

2—भारी मात्रा में स्क्रैप आदि।

जनपद उन्नाव/थाना आसीवन

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 05 किलो 200 ग्राम अवैध चरस**
- **09 हजार 500 रूपये नगद बरामद**

दिनांक 06.04.2025 को थाना आसीवन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिर्सकन्हर तिराहा के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1—अनवर अली 2—मनोज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 05 किलो 200 ग्राम अवैध चरस, 09 हजार 500 रूपये नगद बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना आसीवन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अनवर अली निवासी ग्राम देवपुरा थाना कालपी जनपद जालौन।

2—मनोज निवासी रतनिया थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी

1—लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 05 किलो 200 ग्राम अवैध चरस।

2—09 हजार 500 रूपये नगद।

- **जनपद बहराइच/थाना को0देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 50—50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना को0देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि सपठित धारा

34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–तैनूर हुसैन 2–सोनू उर्फ समीर 3–रजऊ उर्फ शहनूर हुसैन को सश्रम आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना मोतीपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना मोतीपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सीताराम 2–रामफल को आजीवन कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट वाराणसी/थाना शिवपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा थाना शिवपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 354 भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त तुफानी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————